न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना
जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः– पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 06/23

दायर दिनाँक :– 05.01.2023

निर्णय दिनाँकः– 06.11.2025

उनवान

1. गणेशराम पिता किशनलाल जाति लोधा निवासी झिरी
2. घनश्याम पिता किशनलाल जाति लोधा निवासी झिरी
3. बरजी बाई पत्नी किशनलाल जाति लोधा निवासी झिरी
4. राधेश्याम पिता किशन लाल जाति लोधा निवासी झिरी
5. हरिराम पिता किशनलाल जाति लोधा निवासी झीरी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. अमरलाल पिता बरदीलाल जाति लोधा निवासी झिरी तह0 मनोहरथाना
2. चन्द्रकला पुत्री बरदीलाल पत्नी रंगलाल जाति लोधा निवासी पुनियाखेडी कापुरा तह0 मनोहरथाना
3. फूलचंद पिता बरदीलाल जाति लोधा निवासी झिरी तह0 मनोहरथाना
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना

..... अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :– 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार
2. श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण
3 श्री कैलाश चंद वैष्णव, अधिवक्ता अप्रार्थीगण नं0 1, 2 व 3

<u>–: निर्णय :–</u>

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जरिए अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय होकर इस आशय का पेश किया कि ग्राम झिरी पटवार हल्का मनपसर तहसील मनोहरथाना के खाता संख्या नया 38 पुराना 23 की खसरा नं0 1012/564 की 0.0809 हैक्टेयर एवं खसरा नं0 561 की 0.1942 एवं खसरा नं0 565 की 0.0243 हैक्टेयर आराजी प्रार्थीगण के खाते दर्ज है। तथा उक्त आराजी पर प्रार्थीगण,

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

अपने बाप दादाओं के जमाने से अप्रार्थीगणों की आराजी ग्राम झिरी की खाता संख्या नया 04 पुराना 02 की कुल किता 11 की 2.8975 हैक्टर आराजी के खसरा नं0 568 की 0.1619 हैक्टयर की दक्षिण दिशा की मेड से आते जाते रहे है। जिस पर अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 द्वारा बलपूर्वक नाजायज रूप से उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है तथा उक्त रास्ते में नाला खोद कर बंद कर दिया है। जिस कारण प्रार्थीगणों को अपनी आराजी पर काश्त करने व कृषि यंत्रों को ले जाने में परेशानी आ रही है।

प्रार्थना–पत्र में आगे उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगणों की उक्त आराजी पर आने जाने हेतु ओर कोई वैकल्पिक मार्ग नही है तथा अप्रार्थीगणों से खसरा नं0 568 की आराजी के दक्षिण दिशा की तरफ खोदे गये नाले को पुरने व रास्ता खुलासा करने हेतु प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगणों से कई बार कहा परन्तु अप्रार्थीगणों द्वारा कोई सुनवाई नही की गई।

अतः प्रार्थीगण ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अवधि मध्य एवं माननीय न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से प्रार्थीगणों की उक्त आराजी पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगणों की उक्त आराजी के खसरा नं0 568 की 0.1619 हैक्टेयर भूमि के दक्षिण दिशा की मेड से होकर 8 फीट चौडा व 70 फीट लम्बा रास्ता दिलवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

इस प्रार्थना–पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की ओर से जवाब पेश किया गया। जिसकी एक प्रति अधिवक्ता प्रार्थीगण को दिलाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया। जवाब अप्रार्थीगण में आपत्ति दर्ज करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण पूर्व में कभी भी अप्रार्थीगणों की आराजी खसरा नं0 568 की आराजी में से होकर नही निकले है। बल्कि प्रार्थीगण स्वयं की आराजी खसरा नं0 1012/564 जो की मेन रोड अकलेरा मनोहरथाना से लगा हुआ, से अपनी आराजी पर आते जाते रहे है तथा प्रार्थीगणों की उक्त आराजी के तीनों खसरे 1012/564, 565 एवं 561 आपस में मिले हुए है। जिससे आसानी से आ और जा सकते है एवं अपने कृषि यंत्रों को ला व ले जा सकते है। आगे अपने कथन में कहा है कि प्रार्थीगण नाजायज रूप से परेशान करने व अप्रार्थीगणों की आराजी खसरा नं0 568 में से जबरन रास्ता लेना चाहते है। जिसका उनको कोई कानूनी हक एवं अधिकार नही है। क्योंकि प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक मार्ग है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र झूठा एवं काबिल खारीज होने योग्य है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पत्रावली के संलग्न पूर्व में प्राप्त तहसीलदार रिपोर्ट का गौरपूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्ष बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया। बाद अवलोकन एवं मनन दिनांक **23.02.2023 से प्राप्त तहसीलदार रिपोर्ट** से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण की फसल/जोत तक जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तथा प्रार्थीगण अपने खसरा नं0 1012/564, जो कि खसरा नं0 299 गै0मु0 सडक से लगा हुआ है से होकर भी वाद में वर्णित अपनी आराजी तक पहुंच सकते है।

चूंकि **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के मुताबिक–** अन्य खातेदार की जोत में से होकर चाहा गया नया मार्ग एक आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है तथा अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया हो।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मेंटीनेबल नही होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज़ निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर,मनोहरथाना